and berms including slopes have been eroded etc. It has been assessed that repairs to these damages will cost about Rs. 91.00 lakhs.

(c) to (e) Immediate repairs to the road are being carried out and restoration of damages is in progress to keep the road in a traffic worthy condition.

4241. [*Transferred to the 5th September, 1988*].

**दिल्ली में अध्ययन सामग्री की रद्दी के रूप में बिक्री**

**4242. श्री राम जेठमलानी :**
**श्री राम नरेश यादव :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में ऐसी 50 टन अध्ययन सामग्री की बिक्री रद्दी के रूप में कर दी गई है, जिसको पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययनशील छात्रों के प्रयोग के लिये प्रकाशित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस अध्ययन सामग्री को इतनी बड़ी मात्रा में प्रकाशित किये जाने के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या सरकार इस गलती के कारणों का पता लगाने हेतु इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० साहो)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता**

**4243. श्री राम जेठमलानी :**
**श्री राम नरेश यादव :**

क्या **जल-भतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को राहत देने हेतु आर्थिक सहायता दिए जाने की एक योजना सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग वर्ष में मुआवजों के कितने दावे किए गए, उनमें से निपटाए गए मामलों की वर्षवार संख्या क्या है और उनको दी गई राशि क्या है ; और

(ग) जिन शेष मामलों को नहीं निपटाया जा सका उनकी वर्षवार संख्या क्या है, और उसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 92-ए (2) और 110-ए के अनुसार "कोई दोष नहीं दायित्व" और "दोष-सिद्ध दायित्व" के सिद्धांत पर किया जाता है । मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल द्वारा अधिनिर्णय किया जाता है, जिसके पास दावे प्रस्तुत किए जाते हैं । इसके अलावा, टक्कर मारकर भाग जाने वाली दुर्घटनाओं में जहां वाहन का पता न चले, तोषण मुआवजा मृत्यु हो जाने के मामले में 5,000 रू० की नियत राशि और गम्भीर रूप से घायल हो जाने के मामले में 1,000 रू० की नियत राशि का भुगतान दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अथवा उसके कानूनी वारिस को अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट को किए जाने की अनुमति है । तोषण मुआवजा स्कीम के तहत दावे के मामले राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के जिला कलेक्टरों/सब डिवीजनल अधिकारियों द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं ।